नगर विकास योजना का मूल्यांकन
अजमेर-पुष्कर

दिसम्बर, 2006

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान

कोर 4 बी, भारत पर्यावास केन्द्र

लोदी रोड, नई दिल्ली 110003

किसी प्रकार की शंका होने पर कृपया सुश्री उषा रघुपति (email:uraghupathi@niua.org) से ई मेल पर सम्पर्क करें।

नगर विकास योजना अजमेर-पुष्कर की मूल्यांकन टिप्पणियों पर अनुपालन

टिप्पणी 1 : *स्लमवासियों और शहरी गरीबों से भी परामर्श बातचीत की जाए ताकि नियोजन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी का पता लगाया जा सके और उनके लिए समुचित परियोजनाएं तैयार की जा सकें।*

नगर का जवाब :

स्लमों का विस्तृत सर्वे अजमेर में 3 मार्च, 2006 से 12 मार्च 2006 के बीच तथा पुष्कर में 9-10 मार्च, 2006 को किया गया था। सैम्पल स्लमों का सर्वे भू अधिभोगाधिकार और आवास, पेयजल, सफाई और अपजल निकासी तथा सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की प्राप्ति के बारे में वर्त्तमान स्थिति जानने के लिए था। इनके अलावा, उस सर्वे में सामुदायिक आधार ढांचा की प्राप्ति तथा स्लमों में सरकारी स्कीमों, सेहत और शिक्षा सुविधाओं के प्रसार का भी समावेश था।

सर्वे की विधि में अनौपचारिक बातचीत के लिए एक प्रारंभिक प्रश्नावली/चेक लिस्ट का उपयोग किया गया था। इस बातचीत के दौरान, कुछ भागीदारी मूल्यांकन साधनों का भी इस्तैमाल किया गया था। यह सर्वे जयपुर और अजमेर शहरों में कार्यरत एक सिविल सोसाइटी संगठन के सामाजिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा किया गया था।

अजमेर में, स्लम सर्वे के भाग स्वरूप, 12 स्लम बस्तियों (जिसमें यू आई टी एरिया और अजमेर नगर निगम क्षेत्र के स्लम शामिल थे) का, उनके भौगोलिक विस्तार तथा बहुसंख्यक पेशों (स्लमवासियों हेतु) के आधार पर चयन किया गया था। इन स्लमों में नौकरन का हाता, गुलाब बाड़ी, रामबाग और सांसी बस्ती (नगर निगम के अन्तर्गत), तथा गुगरा घाटी, ईदगाह, कुम्हार बस्ती, नागबाई, नफगनी, सुभाष नगर, गुर्जर धरती तथा लोहाखान (यू आई टी के अन्तर्गत) शामिल थे।

पुष्कर में, स्लम सर्वे के भाग स्वरूप, चार स्लम बस्तियों में प्रेरित समूह चर्चाएं की गईं। इन स्लम बस्तियों का चयन उनकी भौगोजिक अव-स्थिति तथा मुख्य पेशायी समूह में विविधता के आधार पर किया गया था। सर्वे में सांसी बस्ती, हरिजन बस्ती, केशव नगर तथा नायक कालोनी शामिल थी। इसके अलावा, दो अन्य स्लम बस्तियों - संतोषी माता कालोनी और अम्बेडकर कालोनी-में विभिन्न हितबद्ध पक्षों के साथ भागीदारी समूह चर्चाएं की गईं।

सर्वे टीम ने प्रत्येक स्लम बस्ती में एक-एक भागीदारी बैठक आयोजित की, जिसमें स्थानीय लोगों के सामने आ रही बड़ी समस्याओं और चुनौतियों पर तथा परिवर्त्तनकारी समुदाय परिप्रेक्ष्य पर चर्चा की गई। इसके अलावा, इन इलाकों में यादृच्छिक चयन आधार पर हितबद्ध पक्ष परामर्श भी किए गए तथा पेशेवर श्रेणी के लोगों का सर्वे किया गया।

इस परामर्शी प्रक्रिया से प्राप्त आदान सामग्री को नगर विकास योजना (सीडीपी) की कार्यनीतियों और परियोजनाओं में शामिल किया गया है।

टिप्पणी 2 : *जनसंख्या प्रायोजन के लिए अपनाई गई पद्धति का खुलासा करना आवश्यक है।*

नगर का जवाब :

अजमेर के लिए जनसख्या प्रायोजन अजमेर मास्टर प्लान (2001-2023) पर आधारित है, जिसे राजस्थान सरकार के नगर नियोजन विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है। पिछले दशकों में आबादी में सुस्त वृद्धि के आलोक में, 2% सालाना की नाममात्र वृद्धि दर (जिसका कि मास्टर प्लान में उल्लेख है) को आगे की गणनाओं के लिए अपनाया गया है। प्रायोजित आबादी के आंकड़े अजमेर हेतु राजस्थान शहरी एवं औद्योगिक विकास परियोजना (आर यू आई डी पी) प्रस्तावों के भी अनुरूप है। पुष्कर की आबादी का प्रायोजन औसत दशकीय वृद्धि दर पर आधारित है, क्योंकि अतीत के रूझानों के आधार पर यही अधिक उपयुक्त समझा गया था (देखिए मुख्य सीडीपी रिपोर्ट का खंड III , अध्याय-1, पैरा 1.2)।

टिप्पणी 3 : *सीडीपी में रंगीन भू उपयोग नक्शा दिया जाए, क्योंकि प्रस्तुत काला-सफेद नक्शा स्पष्ट नहीं है।*

नगर का जवाब :

यह प्रस्तुत सीडीपी दस्तावेजों में सॉफ्टकॉपी के रूप में उपलब्ध है, जो अनुलग्नक-I में पुनः प्रस्तुत है।

टिप्पणी 4 : *जल आपूर्ति के सेवा स्तर की अलग तालिका देना उचित होगा।*

नगर का जवाब :

यह अनुलग्नक-II में है (और नीचे दिया गया है) :

जल आपूर्ति प्रतिमान - अजमेर

प्रतिमान	**इकाई**	**सेवा स्थिति**
आबादी (2006)	लाख में	5.39
कुल जल आपूर्ति	मि.ली.दैनिक	68
नेटवर्क कवरेज़	प्रतिशत	90
आबादी/परिवार व्याप्ति पाइप से आपूर्ति प्राप्त % परिवार	प्रतिशत	81
औसत प्रति व्यक्ति पूर्ति	ली.प्र.व्यक्ति दैनिक	126
शोधन क्षमता (पूर्ति का %)	प्रतिशत	100
भंडारण क्षमता (पूर्ति का %)	प्रतिशत	50 (11-12 घंटे

		पूर्ति के बराबर)
जल पूर्ति नलके/1000 आबादी	अनुपात	151
सार्वजनिक हाथ-नल		700
प्रति नल स्लम आबादी	व्यक्ति	192
जल पूर्ति अवधि/बारंबारता	-	1 से 1.5 घंटे तीसरे दिन
पूर्ति प्रणाली	प्रतिशत	मीटर युक्त
घरेलू (2004-05)	प्रतिशत	22.94
धरेलू भिन्न (2004-05)	प्रतिशत	70.63
औद्योगिक (2004-05)	प्रतिशत	57.62
उत्पादन की इकाई लागत (2003-04)	रू0	14.09
जल शुल्क	रू0	3.20
घरेलू/घरेलू भिन्न	रू0	8.80
घरेलू/औद्योगिक	रू0	13.20
इकाई लागत वसूली (2003-04)	रू0/के एल	3.50
प्रचा+अनु. लागत वसूली	प्रतिशत	58

जल-आपूर्ति प्रतिमान - पुष्कर

प्रतिमान	**इकाई**	**सेवा स्थिति (2006)**
आबादी (2006)	लाख में	0.165
कुल जल आपूर्ति	मि.ली.दैनिक	1.05
नेटवर्क कवरेज़	प्रतिशत	92.5
आबादी/परिवार व्याप्ति (पाइप नल प्राप्त % परिवार)	प्रतिशत	प्राप्त नहीं
औसत प्रति व्यक्ति पूर्ति	ली.प्र.व्यक्ति दैनिक	62
शोधन क्षमता (% पूर्ति)	प्रतिशत	शोधन नहीं
भंडारण क्षमता (पूर्ति का %)	प्रतिशत	50 (11-12 घंटे, पूर्ति के बराबर)
पूर्ति अवधि/बारंबारता	-	1 से 1.5 घंटे, तीसरे दिन

टिप्पणी 5 : *जल आपूर्ति के वित्तीय पहलुओं का उल्लेख किया जाए।*

नगर का जबाब :

जल पूर्ति के वित्तीय पहलू दे दिये हैं। ये वित्त वर्ष 2002-2003 से वित्त वर्ष 2004-2005 तक की अवधि के वित्तीय पहलुओं की संवीक्षा पेश करते हैं।

जल आपूर्ति के वित्तीय पहलू

शहर में जल आपूर्ति और अपजल निकासी नेटवर्क हेतु पूंजीगत निर्माणों, तथा प्रचालन व अनुरक्षण के लिये लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग जिम्मेदार है। यही विभाग जल प्रभारों के लिये मांग करने और उनसे राजस्व वसूली के लिये भी जिम्मेदार है।

लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग की राजस्व प्राप्तियां (आय) जल की बिक्री से उत्पन्न होती हैं। जबकि राजस्व व्यय में मौटेतौर पर प्रशासनिक खर्चे, विद्युत प्रभार, मरम्मत और अनुरक्षण प्रभार शामिल होते हैं।

अगले चित्र में लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग अजमेर की आय के विभिन्न स्रोत और खर्च की मदें दी गई हैं।

चित्र 1 : लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग की वित्तीय स्थिति की झलक

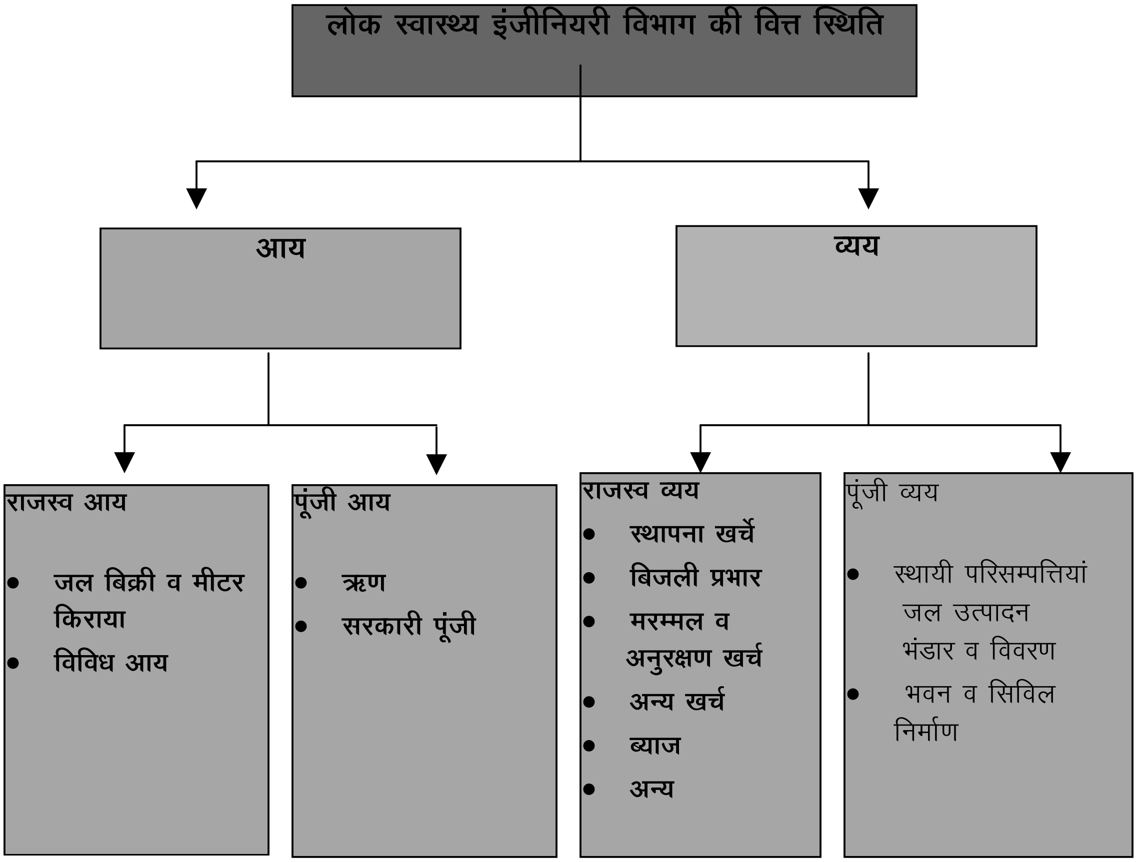

अजमेर

नीचे की तालिका में अजमेर के जल आपूर्ति व अपजल निकासी सिस्टम का आमद-खर्च दिया गया है; जो अजमेर शहर में जल पूर्ति के लिये जिम्मेदार है :

तालिका 1 : संक्षिप्त वित्तीय विवरण (वास्तविक) - पी एच ई डी अजमेर

(लाख रू0)

विवरण	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**
आय-(ए)	**828.17**	**879.56**	**806.83**
जल बिक्री व मीटर किराया - सरकार से	369.96	399.27	304.51
जल बिक्री व मीटर किराया प्रायवेट व अर्द्ध सरकारी विभागों से	403.67	432.94	452.31
सार्वजानिक नलों से आय	44.21	45.27	35.86
विविध आय	10ण्33	2.08	14.14
व्यय-बी	**2,226.99**	**2,267.05**	**2,351.94**
स्थापना-खर्च	611.88	711.23	768.89
प्रशासन-खर्च	6.03	6.09	7.50
प्रचालन-अनुरक्षण व्यय	1,433.36	1,373.08	1,375.45
अन्य खर्चे	98.99	99.39	121.11
मूल्यह्रास व्यय	76.74	77.27	79.00
शुद्ध लाभ/(हानि)	(1,398.82)	(1,387.50)	(1,545.11)
प्रचालन अनुपात (कुल व्यय/कुल आय)	**2.69**	**2.58**	**2.92**

उपयुर्क्त तालिका दरसाती है कि अजमेर प्रमंडल (सर्किल) के लिस लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग (पी एच ई डी) का वित्तीय प्रबंधन बनाए रखने योग्य नहीं है, क्योंकि राजस्व व्यय राजस्व आय का तीन गुना बैठता है। विगत तीन वर्षों का कुल संचित घाटा करीब 4331 लाख रू0 का है, जो वर्ष 2005-06 की आय का करीब 5.4 गुना बैठता है। राज्य सरकार का विभाग होने के नाते, इस घाटे की भरपाई राज्य बजटीय सहायता से की जा रही है, क्योंकि परिचालन कार्य स्वयं में आत्म-पोषणीय नहीं है। नीचे की तालिका-2 में विभिन्न व्यय शीर्षो (मदों) पर कुल राजस्व का अनुपात दिया गया है।

तालिका 2 : कुल आय में व्यय मदों का प्रतिशत

व्यय शीर्ष	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**
खर्च	74	81	95
प्रशासन खर्च	1	1	1
प्रचालन-अनुरक्षण व्यय	173	156	170
अन्य व्यय	12	11	15
मूल्यह्रास व्यय	9	9	10

उपयुर्क्त तालिका से जाहिर है कि व्यय की दो मुख्य मदें स्थापना खर्च और प्रचालन व अनुरक्षण खच की हैं। स्थापना खर्च के अनुपात में भी वृद्धि हो रही है और वह वित्त वर्ष 2004-05 की आय का करीब 95% है।

प्रचालन व अनुरक्षण खर्च कुल आय (वर्ष 2004-05) का करीब 17% है। प्रचालन और अनुरक्षण खर्च का विगत तीन वर्षों का परवर्ती विभाजन तालिका 3 में है।

तालिका 3 : कुल प्रचालन व अनुरक्षण व्यय का % प्रचालन-अनुरक्षण व्यय

विवरण	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**
विद्युत खर्चे	95.4	94.6	95.1
रसायन खर्चे	0.5	0.5	0.3
मरम्मत + अनुरक्षण	3.5	3.9	3.7
पानी बिल वसूली का खर्च	0.6	0.9	0.8

वसूली दक्षता

जल उपयोगिता सेवा की परिचालन दक्षता की परख के लिये वसूली दक्षता एक महत्वपूण पैरामीटर है। नीचे/आगे तालिका 4 में विगत 3 वर्षों के दौरान लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग (पी एच डी) की वसूली दक्षता दी गई है।

तालिका 4 : वसूली दक्षता (%)

श्रेणी	**2002-03**			**2003-04**			**2004-05**		
	बकाया	**प्रचलित**	**कुल**	**बकाया**	**प्रचलित**	**कुल**	**बकाया**	**प्रचलित**	**कुल**
केन्द्रीय	2.7	100.1	85.7	0	100	88	0	100	87
राजकीय	226	95.4	96.4	22	100	99	19	101	100
स्थानीय	0.0	99.2	21.8	1	98	22	0	101	19
उप-जोड़-1	**0.6**	**99.3**	**53.56**	**1**	**99**	**58**	**0**	**100**	**56**
घरेलू	60.3	95.0	92.9	35	93	88	49	92	87
घरेलू-भिन्न	61.3	90.8	87.8	18	92	82	30	92	82
औद्योगिक	18.2	92.8	78.7	13	92	75	17	95	76
उप-जोड़-2	**55.6**	**94.5**	**91.7**	**30**	**92**	**87**	**43**	**92**	**86**
सकल जोड़	**8.6**	**96.2**	**73.6**	**6**	**95**	**73**	**11**	**95**	**70**

उपयुर्क्त तालिका बकाया राशि की मांग के प्रसंन में कम वसूली दक्षता दरसाती है, जो केवल 11% है। सरकारी निकायों के बारे में भी वसूली दक्षता काफी कम है।

मीटरिंग दक्षता

नीचे तालिका में मार्च, 2005 में चालू मीटरों की संख्या दी गई है।

तालिका 5 : मीटरिंग दक्षता

क्रमांक	श्रेणी	कुल	चालू	चालू का प्रतिशत
1	घरेलू	74166	17018	22.9%
2	घरेलू-भिन्न	2973	2100	70.6%
3	औद्योगिक	445	257	57.8%
	कुल	**77584**	**19375**	**25%**

उपयुक्त तालिका अजमेर में अत्यंत निम्न मीटरिंग स्तर दरसाती है। कुल मिलाकर चालू मीटर केवल 25% हैं।

पुष्कर

नीचे/आगे की तालिका में पुष्कर शहर के अन्दर जल प्रदायगी के लिये जिम्मेदार पुष्कर शहरी जल आपूर्ति स्कीम का जल-पूर्ति बावत आय-व्यय दरसाया गया है।

तालिका 6 : संक्षिप्त वित्तीय विवरण (वास्तविक) : पी एच ई डी, पुष्कर

(लाख रू0)

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05
आय-(ए)	**24.55**	**16.31**	**27.00**
सरकारी विभागों से जल बिक्री व मीटर रेन्ट की प्राप्ति	1.63	2.78	2.92
प्रायवेट पार्टियों, अर्द्ध सरकारी विभागों से जल बिक्री व मीटर रेन्ट की प्राप्ति	20.26	12.30	22.67
सार्वजानिक नलों से आय	0.90	0.90	1.07
विविध आय	1.76	0.33	0.34
व्यय-बी	**29.25**	**28.01**	**27.76**
स्थापना-खर्च	11.15	9.88	9.49
प्रशासन-खर्च	0.11	0.09	0.10
प्रचा.+ अनुरक्षण खर्च	3.70	3.70	3.65
अन्य खर्चे	10.49	10.54	10.71
मूल्यह्रास खर्चे	3.80	3.81	3.80
शुभ लाभ/(हानि)	(4.70)	(11.70)	(0.76)
प्रचालन अनुपात (कुल व्यय/कुल आय)	**1.19**	**1.72**	**1.03**

उपर्युक्त तालिका से जाहिर है कि पी एच ई डी-पुष्कर की वित्तीय स्थिति उतार-चढ़ाव वाली है, क्योंकि परिचालन अनुपात वित्त वर्ष 2003-04 में बढ़कर 1.72 हुआ है और पुनः घटकर 1.03 हुआ है। विगत तीन वर्षों का परिचालन अनुपात 1.31 रहा है।

नीचे तालिका 7 में विभिन्न व्यय मदों पर कुल राजस्व अनुपात है।

तालिका 7 : कुल आय के प्रतिशत के रूप में व्यय

प्रचा.+ अनुरक्षण खर्च	15	23	14
अन्य खर्चे	43	65	40
मूल्यह्रास खर्चे	15	23	14

उपर्युक्त तालिका से जाहिर है कि प्रचालन और अनुरक्षण का खर्च पुष्कर में उतना अधिक नहीं है, जितना कि अजमेर में है। इसका कारण यह है कि पुष्कर में जल आपूर्ति आधार ढ़ांचा परिसम्पत्तियां अपेक्षकृत नव निर्मित हैं।

कचरा निपटान व्यवस्था

अजमेर और पुष्कर में कचरा निपटान सेवा स्तरों के मानक सी डी पी के अजमेर और पुष्कर खंडों में क्रमशः खंड 2.8.2 तथा 2.7.2 में दिये गये हैं।
अजमेर नगर परिषद का जनकल्याण और लोक स्वास्थ्य विभाग अजमेर शहर में जन स्वास्थ्य और कचरा निपटान व्यवस्था के लिये जिम्मेदार है। इस विभाग का विगत तीन वर्षों का विविध राजस्व व्यय तालिका -8 में है।

तालिका 8 : राजस्व व्यय (वास्तविक) - जनकल्याण व लोक स्वास्थ्य विभाग

(लाख रू0)

विवरण	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**
वेतन भत्ते	575.37	697.14	729.05	821.05
चिकित्सा व्यय	13.69	15.03	13.12	12.70
अन्य भत्ते	74.86	78.62	80.87	102.69
वर्दी-पोशाक	6.64	6.66	6.62	7.42
दवाएं फिनायल	1.85	1.16	1.59	1.72
अन्य व्यय	0.02	0.02	0.02	0.03
आकस्मिक व्यय	160.75	143.44	172.03	193.61
कुल व्यय	**833.8**	**942.07**	**1003.3**	**1139.2**

इस विभाग को सीधे प्राप्त विभिन्न राजस्व आय तालिका-9 में है।

तालिका - 9 : राजस्व आय (वास्तविक) - जनकल्याण व लोक स्वास्थ्य विभाग

लाख रू0)

विवरण	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**
जन्म-मृत्यु से	1.100	1.420	1.260	1.26
मृत पशुओं के ठेके से	0.000	0.000	0.270	0.08
खाद्य-सामग्री मिलावट की रोकथाम से	0.14	0.16	0.14	0.160
एक्सरे मशीनों से	0.10	0.12	0.17	0.18
कचरा-मलवा संग्रह	3.95	1.82	1.56	9.06
कुल	**5.290**	**3.520**	**3.400**	**10.740**

समेकित विभागीय आय-व्यय तालिका-10 में है।

तालिका-10 : समेकित राजस्व आय-व्यय (वास्तविक) - जनकल्याण व लोक स्वास्थ्य विभाग

विवरण	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**
विभागीय आय	5.29	3.52	3.4	10.74
विभागीय व्यय	833.18	942.07	1003.3	1139.2
अन्तर	**(827.89)**	**(938.55)**	**(999.90)**	**(1,128.46)**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभागीय आय विभागीय व्यय की तुलना में नगण्य है।

टिप्पणी 6 : *स्लम उन्नयन तथा शहरी गरीबों के लिये आवास निर्माण में निवेश और कुल अपवास आवश्यकता की जानकारी दी जाए।*

नगर का जबाब :

स्लम उन्नयन में पूंजी निवेश की जानकारी संबंधित शहरी स्थानीय निकाय देंगे। गैर-स्लमवासियों तथा स्लमवासियों के लिये आवास निर्माण तथा आवास मांग अनुमान की सूचना खंड-II , अध्याय-2, पैरा 2.1.6, 2.1.7, तथा 2.1.8 में है।

गरीबों के लिये आधार-सुविधा तंत्र पर लगायी गई राशि इस प्रकार है :

अजमेर हेतु

वर्ष	**2002-2003**	**2003-2004**	**2004-2005**
वास्तविक खर्च राशि (राजस्व खाता व पूंजी खाता)	1.65 करोड रू0	1.99 करोड रू0	2.5 करोड रू0
कुल बजट का % (राजस्व खाता व पूंजी खाता)	7%	8.02%	9.5%

पुष्कर हेतु

वर्ष	**2002-2003**	**2003-2004**	**2004-2005**
वास्तविक खर्च राशि (राजस्व खाता व पूंजी खाता)	4.27 करोड रू0	4.82 करोड रू0	3.52 करोड रू0
कुल बजट का % (राजस्व खाता व पूंजी खाता)	28%	27.52%	28.18%

टिप्पणी 7 : *संस्थाई ढांचा खंड में प्रत्येक एजेंसी के अधिकार क्षेत्र का उल्लेख किया जाए, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि ये सभी एजेंसियां एक ही शहर में सभी कार्यों को एक साथ कैसे कर रहीं हैं?*

नगर का जबाब :

संस्थाई ढांचा खंड में एक अनुक्रमिका (मैट्रिक्स) है, जो वर्तमान व्यवस्था में विद्यमान क्षैत्राधिकार अधिव्यापन निर्णायक प्रकाश डालती है, लेकिन निष्पादित करार ज्ञापन के अनुसार, राष्ट्रीय शहरी कायाकल्प अभियान (NURM) के तहत, उपर्युक्त सभी म्यूनिसिपल कार्य अगले 7 वर्षों में नगरपालिका अपने हाथ में ले लेगी। प्रत्येक एजेंसी के अधिकार क्षेत्र का सारांश इस प्रकार है :

अजमेर नगर परिषद/पुष्कर म्यूनिसिपल बोर्ड अपने-अपने म्यूनिसिपल सीमा दायरे के अन्तर्गत मुख्य शहरी कार्य कर रहे हैं। अजमेर नगर परिषद अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत भवन नक्शों के अनुमोदन, भवन उप नियमों के प्रवर्त्तन, अपजल निकासी, कचरा निपटान आदि प्रणालियों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिये जिम्मेदार है।

नगर सुधार न्यास (अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट) विकास प्राधिकरणों की तरह कार्य करता है। यह अभिनव योजनावद्ध और नियंत्रित विकास के लिये जिम्मेदार है। इसके कार्यों के अन्तर्गत नगर चौकों, झीलों और उद्यानों जैसे शहरी क्षेत्रों का सौन्दर्यकरण भी शमिल है।

लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग शहर के लिये जल आपूर्ति के नियोजन, निर्माण और डिजाइन के लिये जिम्मेदार है। इस प्रणाली की रूपरेखा अजमेर नगर परिषद/नगर सुधार न्यास (यू आई टी) के अनुरोध पर तैयार की गई थी।

राजस्थान शहरी एवं औद्योगिक परियोजना एक ऐसी योजना है, जो राजस्थान के 6 शहरों में आधार-सुविधा तंत्र के एकीकृत विकास के उद्देश्य से बनायी गई है। छह शहरों में अजमेर और पुष्कर भी शामिल हैं। यह परियोजना परिसम्पात्तियों के सृजन के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार स्रजित परिसम्पत्तियों को प्रचालन व अनुरक्षण के लिये संबंधित विभागों को सौंप दिया जाता है, जैसे जल आपूर्ति से जुड़ी परिसम्पात्तियां लोकस्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग को तथा कचरा निपटान, अपजल निकासी और बरसाती पानी की निकासी से संबंधित परिसम्पात्तियां प्रचालन व अनुरक्षण के लिये अजमेर नगर परिषद के सुपुर्द हैं।

प्रायवेट विकासकर्त्ता अपने द्वारा विकसित कालोनियों में जल पाइप लाइन और अपजल निकासी नालों की व्यवस्था करने के लिये जिम्मवार हैं।

कुछ ऐसे अधिव्यापन दायित्व भी हैं, जिन्हें विभिन्न विभाग एक दूसरे पर टालते हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रवर्त्तित सुराज (एस यू आर एस जे) कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विभागों कार्यों का समन्वय संभागीय आयुक्त (कमिश्नर) अध्यक्षता में अजमेर एजेंडा ग्रुप के माध्यम से किया जाता है।

टिप्पणी 8 : *परियोजनाओं का अन्तः सेक्टरीय प्राथमिकता क्रम देना आवश्यक है। इसमें यह बताया जाए कि किस सेक्टर को पहले धन दिया जाए।*

नगर का जबाब :

परामर्शी बैठकों के विभिन्न चरणों में, सी डी पी तैयार करने की प्रक्रिया में, मौका मुआयनों तथा विचार-विमर्श के दौरान तथा बाद में हितबद्ध-पक्षों के साथ बातचीत के दौरान परियोजनाओं की सूची निर्धारित की गई थी। मांग आंकलन का भी शहर के सेवास्तरों, संवृद्धि रूझानों तथा भावी जरूरतों के संदर्भ में मूल्यांकन किया गया था।

परियोजनाओं के प्राथमिकता क्रम निर्धारण के लिये, सभी हितबद्ध पक्षों के साथ परामर्श और उनकी भागीदारी की प्रक्रिया अपनायी गई थी। सूचीबद्ध परियोजनाओं क आधार पर तथा वार्ड पाषदों के परामर्श से नगर पालिका ने नगर स्तर पर एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था (जिसके अध्यक्ष जिला कलैक्टर थे तथा जिसमें शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि, लोक स्वास्थ्य इंजिनियरी विभाग और लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, सिंचाई आदि विभागों के प्रतिनिधि शामिल थे)। इस समिति ने औचित्य, मांग और सावत्य पैरामीटरों के आधार पर, अपने शहर के लिये परियोजनाओं के निर्धारण के साथ-साथ उनकी कार्याकन्वयन प्राथमिकताओं के निर्धारण की एक व्यापक प्रक्रिया पर विचार किया। इस परामर्श से प्रक्रिया के दौरान आवश्यक आदान सामग्री और मार्ग दर्शन प्राप्त हुआ।

परियोजना-परख की कार्रवाई (स्क्रीनिंग) परियोजना-पूंजीनिवेश व उससे शहर को लाभ, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की फटाफट प्राप्ति, तथा वर्त्तमान व्यवस्था की खामियों के निवारण और भविष्य में सतत सेवा स्तरों को कायम रखने जैसी प्राथमिकताओं पर आधारित थी। प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं की सूची इस प्रकार है :

सेक्टर	प्राथमिकता
जल पूर्ति	1
अपजल निकासी	2
नाली व्यवस्था	3
यातायात/परिवहन/सड़कें	4
कचरा निपटान	5
विरासत संरक्षण	6
बी एस यू पी	7

टिप्पणी 9 : *लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभागा की वित्तीय परिचालन योजना भी दी जाए।*

नगर का जबाब :

लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग की वित्तीय परिचालन योजना (एफ ओ पी) के प्रसंग में, उस विभाग के वित्तीय स्रोतों का स्थिति विश्लेषण स्तर पर तथा सी डी पी प्रलेखन के दौरान विस्तृत विश्लेषण किया गया था। लेकिन सी डी पी में उस विभाग के वित्तीय प्रायोजन निम्नलिखित कारणों से नहीं दिये गये हैं :

लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग कोई स्वतंत्र उपयोगिता एजेंसी न होकर सरकारी विभाग है। जल प्रदाय उपयोगिता अजमेर के प्रसंग में भारी घाटे में है, और इसलिये प्रायोजित वित्तीय अभिकथन से उसकी संदिग्ध वित्तीय स्थिति उजागर हो सकती है। किसी भी वित्तीय परिचालन योजना की जांच जल सेक्टर सुधारों के प्रसंग में टैरिफ और आपूर्ति सुधार बाबात राज्य सरकार तथा लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग द्वारा तैयार स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार ही की जा सकती है। राजस्व आय-व्यय अजमेर-सर्किल के बारे में हैं, जो म्यूनिसिपल क्षेत्राधिकारों के साथ यथार्थतः संस्पर्शी नहीं है।